कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Phone No. 07706-241445 Email Id : Cmogariaband@yahoo.in

क्रमांक / स्था. / भर्ती / 2020 / 9931 गरियाबंद दिनांक 31.10.2020

विषय :– **जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पद ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का आनलाईन प्राप्त आवेदकों की मेरिट सूची में प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु संवर्गवार सूची के प्रकाशन के संबंध में ।**

––––00000––––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0के पत्र कमांक / स्थापना अवि. / 175 / 2020 / 585 ए नवा रायपुर दिनांक 14.08.2020 अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)के 400 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 18.08.2020 से 01.09.2020 तक आनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में आमंत्रित किये गये थे ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छ0ग0 व्दारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 से प्राप्त आनलाईन आवेदनो की प्रारंभिक मेरिट सूची अभ्यार्थियों के अवलोकन एवं दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाईट www.gariaband.gov.in में एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में प्रकाशन किया गया था ।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण उपरांत अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन 01 अनुपात 03 में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यार्थियों की सूची,संवर्गवार (अनारक्षित,अनु.जनजाति,अनु.जाति,अपिव,भू.पू.सै.दिव्यांग) जिले के वेबसाईट www.gariaband.gov.in में एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में प्रकाशन किया गया है ।अतएव अभ्यर्थी / आवेदक उक्त सूची का अवलोकन कर सकते है ।

दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य नियम एवं शर्ते :–

टीप:–

1. अनारक्षित संवर्ग हेतु दिनांक 06.11.2020 को प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है जिसमें भू0पू0सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के सभी संवर्ग सम्मिलित है।
2. अन्य संवर्ग हेतु दिनांक 07.11.2020 को (अनुसूचित जनजाति हेतु प्रातः 11 बजे से दोप02 बजे तक एवं अनुसूचित जाति हेतु दोपहर 02 बजे से सायं 5.00 बजे तक)समय निर्धारित है ।
3. दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यार्थी / आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा ।
4. दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यार्थी को संवर्गवार पद के विरूव्द 01 अनुपात 03 में बुलाया गया है ।
5. दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय संस्थाओं में एम.पी.डब्ल्यू.(महिला)के पद पर कार्यानुभाव वाले आवेदक नियोक्ता का नियुक्ति प्रमाणपत्र एवं निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक व्दारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र की मूलप्रति अवश्य लावे, नियोक्ता व्दारा जारी नियुक्ति प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव का अंक मान्य नहीं होगा ।
6. अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति लाना अनिवार्य होगा एवं 02 स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. अभ्यार्थियों को अपने साथ 02 कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं पहचान पत्र (पेनकार्ड / आधारकार्ड / ड्रायव्हिग लायसेंस / मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लाना होगा ।
8. यदि अभ्यार्थी व्दारा दस्तावेज सत्यापन क समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है,तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।एवं चयन प्रकिया में अपात्र माना जावेगा ।
9. कोविड–19 के संकमण को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियों को कोविड–19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
10. दस्तावेज सत्यापन के समय आनलाईन किये गये आवेदन की प्रति 02 सेट में जमा करना अनिवार्य है।
11. आनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का ही सत्यापन किया जावेगा । अतिरिक्त अन्य दस्तावेजो को स्वीकार और सत्यापन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)